भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2671

बुधवार, 11 दिसम्बर, 2019/20 अग्रहायण, 1941 (शक)

बीड़ी कामगारों के लिए वैकल्पिक आजीविका

2671. श्री देरेक ओब्राईन:

श्री संजय सिंह:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में बीड़ी बनाने वाले उद्योग में नियोजित बीड़ी कामगारों की संख्या कितनी है;

(ख) बीड़ी उद्योग में काम कर रहे लोगों को आजीविका के वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराने के लिए अब तक क्या-क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) कितने श्रमिकों ने वैकल्पिक आजीविका को चुना है;

(घ) क्या मंत्रालय ने यह दर्शाने के लिए कोई आकलन किया है कि वैकल्पिक आजीविका का चुनाव करने के बाद बीड़ी कामगारों की कुल आय में वृद्धि हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): देश में 49,82,294 पंजीकृत बीड़ी कामगार हैं।

(ख) और (ग): बीड़ी कामगारों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को आजीविका के व्यावहारिक वैकल्पिक स्रोतों हेतु, रोजगार के वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ), विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ), संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमएचएफडब्ल्यू) के सहयोग से कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके कारण कई लाभार्थियों को वैकल्पिक रोजगार चुना है।

उपर्युक्त कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं अनुबंध-I में दी गई हैं।

इस कलेंडर वर्ष के दौरान लगभग 2223 लाभार्थियों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से लगभग 1025 लाभार्थियों ने वैकल्पिक रोजगारों को चुना है।

(घ) और (ङ): महोदय, बीड़ी कामगारों और उनके आश्रितों को वैकल्पिक आजीविका मिल जाने के कारण उनकी आय का सही आकलन करना कठिन है क्योंकि अधिकांश कामगार आत्मनिर्भर हो गए है और वे संबंधित चिकित्सा औषधालय/कल्याण आयुक्त कार्यालय के संपर्क में नहीं हैं। इनमें से अधिकांश दूर-दराज के स्थानों पर चले गए हैं और उनमें से कुछ ने अपना व्यवसाय शुरू कर दिया है। बीड़ी कामगारों और उनके आश्रितों द्वारा वैकल्पिक आजीविका चुनने के बाद उनकी आय में वृद्धि के प्रभाव को जानने के लिए अलग से सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, प्रश्नावली के माध्यम से सर्वेक्षण किए गए हैं और क्षेत्र/अंचलों से उनकी सफलता की कहानियां एकत्र की गई हैं, जिनमें उनकी आय में निश्चित वृद्धि दिखाई देती है।

* ****

अनुबंध-।

दिनांक 11.12.2019 के लिए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2671 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

कौशल विकास कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं

- कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अनुमोदित **रोजगारपरक प्रशिक्षण प्रदाता (वीटीपी)** में बीड़ी बनाने वाले और उनके आश्रितों को दिया जाने वाला प्रशिक्षण।
- पंजीकृत बीड़ी कामगारों को प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने पर उनकी मजदूरी में हुए नुकसान के लिए वृत्तिका का भुगतान।
- प्रशिक्षार्थियों को अपने घर से वीटीपी जाने और वापस घर आने के लिए यात्रा की लागत को कवर करने हेतु यात्रा खर्च का भुगतान।
- कामगार या उसके आश्रित को प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए ठहरने पर आवास एवं भोजन खर्च के लिए सहायता।
- प्रशिक्षार्थियों को सभी भुगतान ऑनलाइन लेनदेन के माध्यम से करना अर्थात प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)।
- कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय वैधता वाला प्रमाण पत्र।
- बीड़ी कामगारों और उनके आश्रितों को रोजगार के वैकल्पिक स्रोत में जाने के लिए सहायता प्रदान करना ताकि वे प्रशिक्षण के बाद अपना गुजारा कर सकें।

<u>विभिन्न पाठ्यक्रम जिनमें कौशल विकास प्रशिक्षण दिया गया है</u>

1. टैली का उपयोग करके खाते बनाना
2. सीएनसी ऑपरेटर
3. होटल प्रबंधन (फ्रंट ऑफिस सहयोगी)
4. सिलाई मशीन ऑपरेटर
5. खाद्य और पेय पदार्थ सेवा
6. ए/सी और फ्रिज मैकेनिक
7. ग्राहक सेवा कार्यपालक
8. सौर पीवी स्थापना
9. सिलाई
10. सौर पैनल स्थापना
11. सहायक इलेक्ट्रीशियन
12. सहायक ब्यूटी थेरापिस्ट
13. बेसिक कंप्यूटर कोर्स
14. सामान्य ड्यूटी सहायक
15. फील्ड तकनीशियन

16. ऑटोमोबाइल मरम्मत
17. नलसाजी
18. ब्यूटीशियन
19. मशरूम खेती
20. बैंकिंग और लेखा-विधि
21. चिकित्सा और नर्सिंग कोर्स
22. हाथ कढ़ाई
23. जैम और जेली बनाना
24. कंप्यूटर हार्डवेयर
25. अचार बनाने
26. सिलाई और फैशन डिजाइनिंग
27. सॉफ्ट खिलौने बनाना
28. अगरबत्ती बनाना
29. बैग बनाना
30. एलईडी तकनीशियन
31. सीसीटीवी तकनीशियन

****